प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पोलाराम पुत्र जेरूपाराम जाति मेघवाल निवासी बागरा ग्राम पंचायत बागरा तहसील जालोर जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		56/2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/00115

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

29.12.2017	अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर का जवाब डाक से प्राप्त हुआ। प्रकरण में संबधित पक्षकरो को सुना गया। अपीलांट ने उपस्थित होकर व्यक्त किया कि मै अपीलांट अपील विड्रो करता हूं। जिसकी टिप्पणी आदेशिका में अंकित की है। राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर ने व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा 5 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई थी। आवेदित सूचना के बिन्दु संख्या 1 की सूचना जो इस कार्यालय से संबंधित थी उसकी सूचना अपीलांट को अपील प्रस्तुत होने के पश्चात जरिये पत्रांक/411 दिनांक 26.12.2017 को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 से 5 की ग्राम पंचायत बागरा से सबंधित होने से उपलब्ध नहीं करवाई गई है।अत: प्रकरण निरस्त करावे। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 730611 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2017 के द्वारा 5 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर द्वारा आवेदित सूचना के बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलांट को जरिये पत्रांक/411 दिनांक 26.12.2017 को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलांट द्वारा अपील में विड्रो करने की टिप्पणी अंकित की है। अत: अपीलांट के निवेदन पर अपीलांट की अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। sd/- (बी.एल.कोठारी) **प्रथम अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलेक्टर)** **जालोर**